

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

जिला हनुमानगढ

गोरधन बनाम कृष्ण कुमार आदि

किस्म मुकदमा : 88 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 831 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
20.08.2024	यह वाद पत्र वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता पेश किया गया । वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु वकील वादी रजिस्टर सम्मन पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादीगण दिनांक : 04.09.2024 को पेश हो । ॐ	
49/24	पत्रावली पेश हुई श्रीमती पी.ओ. ... अनुवाय नं. ... पत्रावली दि. 16/10/24 को पेश हो।	
16/24	वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी की तलबी हेतु रजिस्टर सम्मन पेश करे पत्रा दिनांक 21/11/24 को पेश हो। ॐ	
5/24	वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी की तलबी हेतु रजिस्टर सम्मन पेश नहीं किए गए पत्रा पत्र पत्रावली दिनांक 19/11/24 को पेश हो। ॐ	
19/24	वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी की तलबी हेतु रजिस्टर सम्मन पेश नहीं किए गए पत्रा पत्रावली दिनांक 20/11/24 को पेश हो। ॐ	
24/25	वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी की तलबी हेतु रजिस्टर सम्मन पेश नहीं किए गए पत्रा आवश्यक तौर से पेश करे पत्रावली दिनांक 20/11/25 को पेश हो। ॐ	
20/25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी वादी के निवेदन विषय की वादी अपना वाद नहीं अपना चाहते है विशा / पारिजत जयपाल वादी स्वयं के दावा अपना वाद नहीं चलाये के कारण पारिजत विद्या जाला के दाखिल फर्द हो। ॐ	

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

